<u>संचालनालय चिकित्सा शिक्षा</u>
<u>मध्यप्रदेश</u>

पी.एम.टी. 2010 (एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम आवंटन हेतु) निजी (प्रायवेट) चिकित्सा/निजी दंत चिकित्सा महाविघालयों में स्टेट कोटे की सीटों हेतु प्रथम काउंसिलिंग की सूचना

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 कमांक 13111/09 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2009 एवं सिविल अपील कमांक 4060/09 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2010 के परिपालन में व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. 2010 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविघालयों हेतु जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार उम्मीदवारों को प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविघालयों/निजी दंत चिकित्सा महाविघालयों में स्टेट कोटा हेतु निर्धारित एमबीबीएस/बीडीएस की उपलब्ध सीटों पर आवंटन हेतु ***<u>दिनांक 12/08/2010 से दिनांक 14/08/2010</u>*** एवं ***<u>दिनांक 16/08/2010 से दिनांक 21/08/2010</u>*** तक प्रातः 10.00 बजे से **गांधी चिकित्सा महाविघालय, भोपाल** में काउंसिलिंग का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है :–

<u>काउंसिलिंग कार्यकम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से</u>

दिनांक	कार्यकम	उम्मीदवारों की श्रेणी/संवर्ग का नाम जिन्हें उपस्थित होना है ।	वे उम्मीदवार जिन्हें काउंसिलिंग में उपस्थित होना है ।
12.08.2010	**स्कूटनी**	अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क. 01 से 450 तक
13.08.2010	**आवंटन**	अ0ज0जा0 पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क. 01 से 450 तक
13..08.2010	**स्कूटनी**	अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क. 451 से 850 तक
14.08.2010	**आवंटन**	अनूसूचित जनजाति (ओपन)	मेरिट क. 451 से 850 तक
14.08.2010	**स्कूटनी**	अनूसूचित जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क. 01 से 500 तक
16.08.2010	**आवंटन**	अनूसूचित जाति पी0एच0 (विकलांग) अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क. 01 से 500 तक

16.08.2010	स्कूटनी	अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 501 से 900 तक
17.08.2010	आवंटन	अनूसूचित जाति (ओपन)	मेरिट क्र. 501 से 900 तक
17.08.2010	स्कूटनी	अन्य पिछडा वर्ग,पी0एच0(विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 600 तक
18.08.2010	आवंटन	अन्य पिछडा वर्ग,पी0एच0(विकलांग) अन्य पिछडा वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 600 तक
18.08.2010	स्कूटनी	अन्य पिछडा वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 601 से 950 तक
19.08.2010	आवंटन	अन्य पिछडा वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 601 से 950 तक
19.08.2010	स्कूटनी	अनारक्षित पी0एच0 (विकलांग) अनारक्षित वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1000 तक
20.08.2010	आवंटन	अनारक्षित पी0एच0 (विकलांग) अनारक्षित वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 01 से सभी पात्र उम्मीदवार मेरिट क्र. 01 से 1000 तक
20.08.2010	स्कूटनी	अनारक्षित वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 1001 से 1500 तक
21.08.2010	आवंटन	अनारक्षित वर्ग (ओपन)	मेरिट क्र. 1001 से 1500 तक

उक्त आयोजित की जा रही काउंसिलिंग के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कॉल लेटर जारी नहीं किये जा रहे है ।

आवेदक को काउंसिलिंग स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा । आवेदक का फोटो पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षा फार्म में लगाये गये फोटो के समान ही होना चाहिये ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा 2010 के बिन्दु क्र. 12.6 के अनुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के दो सैट के बगैर काउंसिलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

उम्मीदवार को काउंसलिंग में स्कूटनी के समय फोटो आई0डी0 प्रूफ (फोटो लगा पहचान पत्र) एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र, जो एक वर्ष से अधिक पुराना न हो, लाना अनिवार्य है ।

पीएमटी प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसिलिंग मे उपस्थित होने पर जिनका आवंटन स्वशासी दंत एवं चिकित्सा महाविघालय में प्राप्त होता है ऐसे उम्मीदवार सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपये 3.00 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो

''संचालक चिकित्सा शिक्षा, म0प्र0 भोपाल'' के पक्ष में देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना होगा । तदनुपरांत ही उम्मीदवार को आवंटन पत्र प्रदान किया जावेगा ।

स्कूटनी – उपलब्ध सीटों के अनुपात के आधार परं उम्मीदवारों की स्कूटनी की जावेगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जायेगी ।

फीस – निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों के लिये फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा किया जाता है । अतः उम्मीदवार को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संबंधित महाविघालय हेतु निर्धारित फीस प्रवेश के समय जमा कराना होगी, परन्तु आरक्षित वर्ग के छात्रों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित पोस्ट मेट्रिक अथवा अन्य नियमानुसार निर्धारित पात्रतानुसार शुल्क का लाभ प्राप्त हो सकेगा । इस हेतु छात्र संबंधित महाविघालय में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत निर्धारित प्रारूप पर संबंधित महाविघालय के माध्यम से अपना आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगें ।

पात्र उम्मीदवार काउंसिलिंग में उपस्थित होने के पूर्व पीएमटी नियम 2010 का भली भांति अध्ययन कर लें, यदि किसी कारण से उम्मीदवार अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि कोई पाठ्यक्रम अथवा महाविघालय का चयन नहीं करते है तो उनका अधिकार समाप्त हो जायेगा, हालांकि वे अपना नाम, लिखित प्रार्थना कर प्रतीक्षा सूची में रख सकते है । इस प्रकार ''आप्ट फॉर वेंटिंग'' रखने वाले उम्मीदवार/अधिकृत प्रतिनिधि को आगामी काउंसिलिंग के समय बुलाया जायेगा ।

1– यदि उल्लेखित काउंसिलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसिलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2– एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसिलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

नोटः– (1) भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देश अनुसार दृष्टि एवं बधिर अथवा भुजाएं (Upper Limb)के विकलांग उम्मीदवार एमबीबीएस/बीडीएस के लिये अपात्र होंगें ।

(2) **काउंसलिंग के उक्त प्रोग्राम की जानकारी संचालनालय की बेबसाईट <u>www.mp.gov.in/medicaleducation</u> पर भी उपलब्ध है ।**

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश